

कार्यालय जिलाधिकारी गाजीपुर।  
पत्रांक 166 / 13-आपदा / -राहत सामग्री / 2019-20  
कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 29 सितम्बर, 2019

जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 29-9-2019 द्वारा वर्ष 2019 में सम्भावित बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किये जाने हेतु खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति हेतु मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स (श्री अनुप गुप्ता) मो0 नवापुरा कचहरी रोड गाजीपुर की प्रति पैकेट की दर 1564-00 रुपये पर क्रय जाने की सहमति/अनुमोदन प्रदान की गयी है।

अतः मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स (श्री अनुप गुप्ता) मो0 नवापुरा कचहरी रोड गाजीपुर को आदेश दिया जाता है कि पत्रांक 150/13-आपदा/राहत सामग्री/2019-20 दिनांक 19-9-2019 को निकाली गई निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार वर्ष 2019 में बाढ़ आने की स्थिति में आपूर्ति आदेश निर्गत होने के दिनांक से 04 घण्टे के अन्दर खाद्यान्न की आपूर्ति करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा  
गाजीपुर।

पत्रांक 166 / 13-आपदा / -राहत सामग्री / 2019-20 दिनांक 29 सितम्बर, 2019  
प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0शासन राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर।
- 3- प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा गाजीपुर।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश को जनपद गाजीपुर की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स (श्री अनुप गुप्ता) मो0 नवापुरा कचहरी रोड गाजीपुर।

29/09/19  
प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा  
गाजीपुर।